UTTARAKHAND

उत्तराखण्ड शासन

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट

E.Mail . eepwdkapkot@rediffmail.com Ph./ Fax No. – 05963.253385 (O)

पत्रांक 2126 / 02ई

दिनांक 28 / 11 / 2019

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग बागेश्वर।

विषयः– जनपद बागेश्वर में हरसीला से सीमा तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.519 है0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन(FP/UK/ROAD/27119/2017

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के EDS पत्रांक सं0 8बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 57 / 2018 / एफ0सी0 / 289 दिनांक 09.05.2019 एवं नोडल अधिकारी देहरादून के Eds Dated 16-09-2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून द्वारा उक्त प्रस्ताव में जो आपत्तियॉ लगायी गयी हैं उनका निम्नानुसार निराकरण कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

बिन्दु सं0	लगायी गयी आपत्तियॉ	आख्या
1	Reply to point No 05 and 07 in nodal office letter seems to be very sketchy **Action Required:-**Sate Government may submit/upload correct reply and a clear and legible copy of document in reply to point No 05 and 07 Eds dt. 10-07-2018	**Point No 05** CA toposheet and digital map Re-uploaded in S.No L(v), (vi) Details of land identified for Compensatory Afforestation. **Point No 07** -Releted to DFO Office.
2	KML file of the proposal seems incorrect as it does not connect any village. **Action Required:-**Sate Government may upload the correct KML file of the area proposed for diversion.	Correct KML file Re-uploaded in part-I S.No L(c),
3	In reply to point No. 02, Justification is not found uploaded..**Action Required:-**Sate Government may submit the justification for locating project in forest land at para D Part-I.	Correct Justification Re-uploaded in Part-I, Sno-D (i)
4	In reply to point No 03, 04, 05, and 07 no corrections have been made yet. **Action Required:-**Sate Government may submit/upload crrect reply to the above mentioned points.	**Point No-03**- Employment likely to be generated Correct in online Part-I at para-E. **Point No-04**- Own proof has uploaded at designated L(iv) place. **Point No-05**- SOI toposheet & digital map CA area is uploaded at part-I S.No L(c), नोडल अधिकारी देहरादून द्वारा प्रस्ताव की एक मूल प्रति अपने कार्यालय पत्राक सं0 3732 / FP/UK/ROAD/27119/2017 दिनांक 19 मई 2018 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रेषित की गयी है। जिसकी प्रति संलग्न की जा रही है।

5	In reply to point No 10, 11, 12, 13 and 14 original hard copies have been submitted . **Action Required:-** State Government may submit the original copies of the documents as asked vide point No 10, 11, 12, 13 and 14 of EDS Dated 10-07-2018	**point No 10-** Releted to CF Office. **point No 11**-Part-III submitted in Additional information Details S.No-35 **point No 12**- Part-V submitted in Additional information Details S.No-38 **point No 13**- Part-I & II submitted in Additional information Details S.No-35 **point No 14**- Part-I & II submitted in Additional information Details S.No-35 बिन्दु सं० 5 के point No 10, 11, 12, 13 and 14 बिन्दु Specific recommendation of the DFO/CCF /Nodal Officer with(Part II,III & Part IV पार्ट–2 में Attached किये गये हैं। महोदय यह भी अवगत कराना है कि Part II,III & Part IV सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा भरकर पार्ट–2 Attached किये जाते है।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0,
कौसकोट

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्याः–3732/ FP/UK/ROAD/27119/2017 देहरादूनः दिनांक 19 मई, 2018

सेवा में,

प्रभारी सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– जनपद– बागेश्वर में हरसीला से सीमा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.519 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(FP/UK/ROAD/27119/2017)

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्ताव की हार्ड कॉपी आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संलग्न कर विशेष पत्र वाहक के माध्यम से प्रेषित की जा रही है। अतः विषयांकित प्रकरण पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संख्या /1जी– FP/UK/ROAD/27119/2017 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर–मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड, देहरादून को प्रस्ताव की मूल प्रति पार्ट । से IV तक संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक कुमाऊँ, नैनीताल।
4. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
5. जिलाधिकारी, जनपद–बागेश्वर।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
7. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट, बागेश्वर।

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

NOTE FOR JUSTIFICATION

परियोजना का नाम :– जिला योजना के अन्तर्गत हरसीला से सीमा तक 4.00 किमी0 मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

उक्त प्रस्तावित बागेश्वर कपकोट तेजम मोटर मार्ग के किमी0 10 से प्रारम्भ होता है जो हरसीला एवं सीमा ग्राम को जोड़ता है जिनकी कुल आबादी 600 है। प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा होगी। वर्तमान में गॉव की महिलायें पानी, लकडी, चारा आदि लेने के लिए दूर जाती हैं। मार्ग निर्माण के पश्चात उनका बहुमूल्य समय बचेगा साथ ही वे अपने घर और बच्चों को अधिक समय दे पांएगी, जिससे कि बच्चों का लालन पालन तथा पठन–पाठन ठीक से होगा तथा कुपोषण जैसी भारी समस्या दूरी हो पाएगी। गॉव में चिकित्सालय तथा विद्यालय खुलने के लिए नए अवसर मिलेंगें। ग्रामवासी अपने उत्पादित फल सब्जी, अनाज आदि को बाजार तक बिना किसी कठिनाई से ले जा पाएगें साथ ही गॉव विकास की ओर अग्रसर होगा एवं स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होगें।

यह संरेखण सिविल भूमि, वन पंचायत भूमि एवं नाप भूमि से होकर गुजरता है। अन्य किसी श्रेणी की भूमि प्रभावित नहीं होती है। संरेखण के अन्तर्गत कोई मकान, मस्जिद, कब्रिस्तान का भाग नहीं आता है।

उक्त मोटर मार्ग की लम्बाई 4.00 किमी0 तथा मार्ग की चौड़ाई 9.00 मी0 ली गई है। मार्ग के निर्माण में सिविल भूमि 1.912 हेक्टेयर, आरक्षित भूमि 0.607 है0 एवं नापभूमि 1.080 हेक्टेयर प्रभावित होती है। उक्त प्रयोजनार्थ इस भूमि हेतु न्यूनतम संरेखणों पर विचार किया गया है।

समरेखन नं0–1 इस समरेखन के अनुसार इस मार्ग का संरेखन बागेश्वर कपकोट तेजम मोटर मार्ग के किमी0 10 से प्रारम्भ होता है मार्ग की लम्बाई 4.00 किमी0 है तथा निर्माण की लागत कम है मार्ग में 10 नं0 हियर पिन बैण्ड पड़ते हैं। तकनीकी दृष्टि से ग्रेड सही मिलता है। लम्बाई कम है तथा इस संरेखन के अनुसार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत हैं। वृक्षों की संख्या कम है।

समरेखन नं0–2 इस समरेखन के अनुसार इस मोटर मार्ग का समरेखन स्थल बागेश्वर कपकोट तेजम मोटर मार्ग के किमी0 10 से प्रारम्भ होता है। मार्ग की लम्बाई 4.50 किमी0 आती है। मार्ग की लम्बाई अधिक होने के कारण निर्माण की लागत अधिक आती है। इस समरेखन में अधिक वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। मार्ग में 11 नं0 हियरपिन बैण्ड पडतें हैं, तकनीकी दृष्टि से ग्रेड सही नहीं मिलता तथा समरेखन के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण में ग्रामवासीयों की वन पंचायत की इमारती लकडी का अधिक नुकसान हो रहा है। जिससे ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत नहीं हैं।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए समरेखण नं0–2 को निरस्त कर समरेखण नं–1 को अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अनुमोदित किया गया है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में सिविल भूमि 1.912 हेक्टेयर, वन पंचायत भूमि 0.00 हेक्टेयर, आरक्षित भूमि 0.607 एवं नापभूमि 1.080 हेक्टेयर प्रभावित होती है जो न्यूनतम है। मोटर मार्ग की लम्बाई 4.00 किमी0 व चौडाई 9 मी0 में ली गयी है एवं मोटर मार्ग का निर्माण करने से पूर्व यह प्रस्ताव गठित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

मोटर मार्ग निर्माण हेतु 9.00 मी0 चौडाई में भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव गठित किया गया है। मोटर मार्ग निर्माण हेतु कुल 05 डम्पिंग जोन जिनकी चौडाई 1.50 मी0 है तथा प्रतिधारक दीवार जिसकी ऊचाई 2.00 से 3.00 मी0 के बीच है प्रस्तावित किये गये है। मार्ग निर्माण 6.00 मी0 चौडाई मे किया जायेगा तथा इसके पश्चात खडड साईड मे स्थित 1.50 मी0 चौडाई के डम्पिंग जोन में मलवा निरस्तारण किया जायेगा। इस प्रकार समस्त पांचों डम्पिंग जोन में 6.00 मी0 मार्ग निर्माण एवं खडड साईड मे 1.50 मी0 कुल 7.50 मी0 चौडाई मे भूमि प्रभावित होगी तथा मलवा निस्तारण स्थल का क्षेत्रफल भूमि हस्तान्तरण हेतु 9.00 मी0 चौडाई में सम्मिलित है।

अतः प्रभावित वनभूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव स्वीकृत करने की कृपा करें ।

कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट

(प्रभागीय वनाधिकारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

प्रपत्र– 2.7

परियोजना का नाम:– जिला योजना के अन्तर्गत हरसीला से सीमा तक 4.00 किमी0 मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना की लम्बाई–चौडाई का विवरण

क0सं0	भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मीटर में)	चौडाई (मीटर में)	कुल क्षेत्रफल (है0 में)	
1	आरक्षित वनभूमि	675	9.00	0.607	
2	सिविल सोयम भूमि	2125	9.00	1.912	
3	वन पंचायत भूमि	-	-	-	
	अन्य श्रेणी की वनभूमि (यदि लागू हो)	-	-	-	
	वनभूमि का योग:–	**2800**	**9.00**	**2.519**	
4	नाप भूमि	1200	9.00	1.080	
	कुल योग:–	**4000**	**9.00**	**3.599**	

नोट:– मोटर मार्ग निर्माण हेतु 9.00 मी0 चौडाई में भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव गठित किया गया है। मोटर मार्ग निर्माण हेतु कुल ......05........ डम्पिंग जोन जिनकी चौडाई 1.50 मी0 है तथा प्रतिधारक दीवार जिसकी ऊचाई 2.00 से 3.00 मी0 के बीच है प्रस्तावित किये गये है। मार्ग निर्माण 6.00 मी0 चौडाई मे किया जायेगा तथा इसके पश्चात खडड साईड मे स्थित 1.50 मी0 चौडाई के डम्पिंग जोन में मलवा निस्तारण किया जायेगा। इस प्रकार समस्त ..05.. डम्पिंग जोन में 6.00 मी0 मार्ग निर्माण एवं खडड साईड मे 1.50 मी0 कुल 7.50 मी0 चौडाई मे भूमि प्रभावित होगी तथा मलवा निस्तारण स्थल का क्षेत्रफल भूमि हस्तान्तरण हेतु 9.00 मी0 चौडाई में सम्मिलित है।

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 विभाग
कपकोट
प्रयोक्ता एजेन्सी

राजस्व उपनिरीक्षक

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
कपकोट

तहसीलदार
तहसील कपकोट

Sub Divisional Magistrate
Kapkote (Bageshwar)

जिलाधिकारी
बागेश्वर

SITE INSPECTION REPORT- NOT BELOW THE RANK OF DCF

(For the forest land to be diverted under FCA)

5.1 A proposal has been received by this office from ....P.W.D. KapKot.................... for diversion under FCA-1980) of ..2.5.19 ha of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for Construction of ..Harsila to Sema motor...... The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated..10/02/2018

5.2 On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Other forests measuring 2.519 ha.

5.3 The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project. yes

5.4 Whether any rare /endangered /unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of :- NO

5.5 Whether any protected archeological /heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area, if, so the details thereof with NOC from competent authority, if required.- NO

a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction. yes

b) It has been found that the user agency has violated (Conservation), Act, and 1980 provisions. A details report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Hand book of forest (Conservation) Act, 1980 attached. NO

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

Place: - Bageshwar
Date:- 10-2-2018

10/2/2018
(R.K. Singh)
Divisional Forest Officer
Forest Division Bageshwar

N.B. x State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.
xx out of(a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC darted 16-10-2000 from ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving less then 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more the 40 hectares of forest land site inspection report from the conservator of forests is required.

भाग–III

हरसाली से सीमा तक मोटर मार्ग – 4.00 किमी0

प्रस्ताव संख्या (27119/2017)

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14– स्थल, जहॉ की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हॉ/नही) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं। प्रस्तावित 04.00 किमी0 की लम्बाई में **कुल 02 बॉंज** के वृक्ष प्रभावित हो रहे है। अतः अधोहस्ताक्षरी के स्तर से अलग से कोई निरीक्षण न कर प्रभागीय वनाधिकारी के स्थलीय निरीक्षण दिनांक 10.02.2018 के आधार पर ही सहमति व्यक्त की जा रही है।
15– क्या सम्बन्धित वन संरक्षक पार्ट– II में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हॉ। सहमत।
16– प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे मे सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	जनहित में स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।

दिनांकः– 23.02.2018

स्थानः–अल्मोड़ा।

(डॉ0 आई0पी0 सिंह)
वन संरक्षक
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नामः जनपद– **बागेश्वर में हरसीला से सीमा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.519 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**
(FP/UK/ROAD/27119/2017)

टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु बागेश्वर वन प्रभाग में **1.912** हे0 राजस्व एवं **0.607** हे0 आरक्षित वन भूमि अर्थात कुल **2.519** हे0 वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित है, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर तथा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः **बागेश्वर में हरसीला से सीमा तक मोटर मार्ग हेतु** प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षरः
नाम व पदनामः (मनोज चन्द्रन भा.व.से.)
मुख्य वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

सरकारी मोहरः
तिथि : 19 /05/2018
स्थान : देहरादून

01(95)2018

PROPOSALNO- FP/UK/Road/27119/2017
PROPOSALNAME-Harsila-to-sima-motor-road

AREA - 2.519 Ha
District- Bageshwar

PART- V

(To be filled in by the Secretary in charge of Forest Department or by any other authorised officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Recommendation of the State Government:
(Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part-D above should be specifically commented upon)

RECOMMENDED

05/06/2018

Signature-

Name and designation

Official seal

(अरविन्द सिंह ह्याँकी)
सचिव
वन एवं पर्यावरण विभाग
उत्तराखण्ड शासन

1. **Location of the project/Scheme :** Uttarakhand

(i)

State / Union Territory : Uttarakhand

(ii)

District : Bageshwar

(iii)

Forest Division : Bageshwar

(iv)

Area of forest land proposed for diversion (in ha.) : 2.519

(v)

Category of the Proposal: Road

2. **Legal status of forest land proposed for diversion**

S. No.	Division	Forest Land(ha.)	Legal Status
1	Bageshwar	1.912	Revenue Forest
2	Bageshwar	0.607	Reserved Forest

Division 1. : Bageshwar

3. **District wise area to be diverted in the division**

S. No.	District	Area(ha.)
1	Bageshwar	2.519

4. **Details of Vegetation available in the forest land proposed for diversion**

(i)

Density of vegetation

S. No.	Area(in ha.)	Density	Eco-Class
1	2.519	0.2	Eco 5

(ii) **Species-wise local/scientific names and girth-wise enumeration of trees at FRL**

S. No.	Scientific Name	Local Name	(0-30)cm.	(31-60)cm.	(61-90)cm.	(91-120)cm.	(121-150)cm.	(>150)cm.
1	Prunus Cerasoides	padam	05	03	0	0	0	0
2	Toona ciliata	toon	0	0	0	4	0	0
3	Quercus leucotricophora	baaj	9	2	0	0	0	0
4	Pinus roxburghii	chir	06	10	0	0	0	0
5	Others	kukat	53	27	4	0	0	0

5. **Working plan prescription for the forest land proposed for diversion :**

pungar compartment no 08,09,Chir working circle, qt class 2/3,PB-last,

6. **Brief note on vulnerability of the forest area to erosion :** The area is not prone to soil erosion

7. **Approximate distance of the proposed site for diversion from boundary of forest(in km.) :** .500

8. **Significance of the forest land proposed for diversion from wildlife point of view**

(i). **Details of wildlife present in and around the forest land proposed for diversion :** Wildlife presence is rare in the proposed land

(ii). **Whether forms part of national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve,tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc. :** No

(iii). **Whether the forest land proposed for diversion is located within eco-sensitive zone(ESZ) of the Protected Area notified under Wildlife(Protection) Act,1972 (Note: In case, ESZ of a Protected Area is not notified,then,10kms distance from boundary of the Protected Area should be treated as ESZ):** No

(iv). **Whether any national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc., is located within 1 Km. from boundary of the forest land proposed for diversion :** No

(v). **Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area :** No

9.

Details of any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument located in the area, if any

(i). **Whether any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area :** No

10. **Comment as to the reasonability of the extent of the forest land proposed for diversion**

(i). **Whether the requirement of forest land as proposed by the user agency is unavoidable and bare minimum for the project :** Yes

11. **Details of violation(s), if any ,committed**

(i). **Whether any work in violation of the Act or guidelines issued under the Act has been carried out :** No

12. **Whether work in violation is still in progres(Yes/No) :** NIL

13. **Details of compensatory afforestation scheme**

(i).

Patch wise details of non-forest or Revenue forest land to be provided by User Agency for CA

Patch Wise Details						
S.no	**District Name**	**Village**	**Area(in ha.)**	**khasra**	**KML file**	**Present Owner file**
1	Bageshwar	Bijori Jhal	5.038	2		

(ii).

Upload a scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed for C.A. prepared by using DGPS or Total Station:

(iii).

Upload a copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed for C.A:

Additional information Details

S. No.	Documents	Remarks
	NIL	

14. **District Profile**

S.no	District	Geographical	Forest	Total forest	No. of	Forest Land	Progress of	A)	B) Non-

	Name	area of the district (in ha.)	area of the district (in ha.)	area diverted since 1980 (in ha.)	Approved Cases	including penal C.A. (in ha.)	compensatory afforestation as on(date)	Forest land (in ha.)	forest land (in ha.)
1	Bageshwar	231000	107400	726.60415	385	1453.2083	22/02/2018	1356	0

15.

Site inspection report of the DFO/CCF/Nodal Officer highlighting important facts pertaining to the forest land

Division Name	Circle	Site inspected By	Whether site inspected	No. of times site visited	Site inspection report	Date of visit
	North Kumaun	CF	No		No Data	
Bageshwar	North Kumaun	DFO	Yes	One		10/02/2018

(Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer with(Part II,III & Part IV))

16.

Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer for acceptance or otherwise of the proposal with reason

Division	Circle	Recommendation By	Recommendation	Reason	Letter	Whether CF agreed
Bageshwar	North Kumaun	DFO	Recommended			
	North Kumaun	CF	Recommended	The Proposal is in Public Interest. As per Proposal population 600 of 2 villages will be benefited hence recommended.		Yes
		Nodal Officer	Recommended	as per file attached		

Specific recommendation of the State Government(Part V)

17.

Specific recommendation of the State Government for acceptance or otherwise of the proposal with reason (Part V)

State	Recommendation By	Recommendation	Recommendation Date	Remarks	Signing Authority	Notification	Recommendation Letter
Uttarakhand	State Secretary	Recommended	05/06/2018	as per file attached	State Govt. Officer	No Data	

Payment made by User Agency

18. **Payment made by User Agency**

Proposal No.	Application No.	Total Amount (Rs.)	Transaction Date	Transaction ID	Bank Name	Mode of Payment	Uploaded Demand Letter
No Data							

कार्यालय मुख्य अभियन्ता,कु0क्षे0
लोक निर्माण विभाग ,अल्मोड़ा

भूगर्भीय खण्ड

भूगर्भीय निरीक्षण आख्या जी–42/सडक संरेखन/कुमायूँ/2011

जनपद बागेश्वर में बागेश्वर कपकोट तेजम मोटर मार्ग के किमी0 11 से सीमा गॉव तक मोटर मार्ग के 4.00 किमी0 मोटर मार्ग के सड़क समरेखण की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

जुलाई
2011

(18)

जनपद बागेश्वर मे बागेश्वर कपकोट तेजम मोटर मार्ग के किमी0 11 से सीमा गॉव तक मोटर मार्ग के 4.00 किमी0 मोटर मार्ग के सड़क समरेखण की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

1:–प्रस्तावना:–

जनपद बागेश्वर में निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट द्वारा जनपद बागेश्वर में बागेश्वर कपकोट तेजम मोटर मार्ग के किमी0 11 से सीमा गॉव तक मोटर मार्ग के 4.00 किमी0 भाग का बनाना प्रस्तावित है। अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट के अनुरोध पर स्थल का निरीक्षण दि0 03.05.2011 को श्री एन0एस0माजिला, सहायक अभियन्ता, एवं श्री बी0एस0कपकोटी, अपर क0अभि0 निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट के साथ अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया। स्थल का निरीक्षण स्थल संरचना व बनावट भूगर्भीय एवं पर्यावरणीय परिस्थितियो के अध्ययन हेतु किया गया ताकि इस भाग में मोटर मार्ग निर्माण हेतु आवश्यक सुझाव दिया जा सके। चित्र (1 –2)

2– स्थिति:–

1– जनपद बागेश्वर में यह सड़क समरेखन बागेश्वर कपकोट मोटर मार्ग के किमी0 11 से प्रारम्भ होता है। (चित्र–1)

2– भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अनुसार सीमा..................अक्षांश तथा............................... देशान्तर पर स्थित है। (चित्र–2)

3– भूगर्भीय स्थिति:–

यह सड़क समरेखन कुमायूॅ लेसर हिमालय के अन्तर्गत रौतगाडा वर्ग के लाइम स्टोन फार्मेशन के अन्तर्गत फैला हुआ है। स्थल क्षेत्र में लाइम स्टोन चट्टानें स्पष्ट दृष्टिगोचर है। ये चट्टाने, महीन एवं मोटे पर्तवाली तीन प्रकार के ज्वाइंट से पूर्ण दक्षिणपश्चिम दिशा के साथ विद्यमान है। चट्टानों के ऊपर डेब्रिस तथा मिट्टी की परतें भी विद्यमान हैं। लाइम स्टोन चट्टान पूर्वोत्तर दिशा के झुकाव के साथ है।

चट्टानों में किया गया अध्ययन निम्नवत है–

1–	130–310	/ दक्षिण पश्चिम	/ 21^0	नति
2–	130–310	/ दक्षिण पश्चिम	/ 23^0	नति
3–	130–310	/ दक्षिण पश्चिम	/ 25^0	नति
4–	120 / 300	/ पूर्वोत्तर	/ 41^0	ज्वाइंट
5–	120 / 300	/ पूर्वोत्तर	/ 43^0	ज्वाइंट
6–	120 / 300	/ पूर्वोत्तर	/ 45^0	ज्वाइंट
7–	50–230	/ दक्षिणपूर्व	/ 65^0	ज्वाइंट
8–	50–230	/ दक्षिणपूर्व	/ 67^0	ज्वाइंट
9–	50–230	/ दक्षिणपूर्व	/ 69^0	ज्वाइंट

इस सम्पूर्ण समरेखन में भूगर्भीय टेक्टोनिक कम निम्नवत है।

मिट्टी की परत

डेब्रिस

लाइम स्टोन

लाइम स्टोन

लाइम स्टोन

4— स्थल वर्णनः—

यह समरेखण बागेश्वर कपकोट तेजम मोटर मार्ग के किमी0 11.00 से प्रारम्भ होकर सीमा गॉव के बीच में 4 किमी0 लम्बाई में फैला हुआ है। यह समरेखण उक्त मोटर मार्ग से पूर्वोत्तर दिशा को पश्चिमोंत्तर दिशा के पहाडी ढालन के साथ किमी0 4 के अन्त तक जाता है।

यह सम्पूर्ण समरेखण नाप/बेनाप से होकर गुजरता है। इस समरेखण में कई सूखे नाले विद्यमान हैं।

इस समरेखण के किमी0 1 में देवलचौरा ग्राम और किमी0 4 में सीमा ग्राम एंव प्रा0पाठशाला विद्यमान है। पहाड़ी ढलान सामान्य से मध्यम स्थिति में है। इस समरेखण में कोई भी भूस्खलन क्षेत्र नहीं है।

इस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु दो समरेखण स्थल देखे गये। प्रथम समरखेण स्थल भूगर्भीय एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण से स्थायित्व के विचार से उचित एवं उपयुक्त पाये जाने पर अनुमोदित किया गया है जिसका उपरोक्तानुसार विस्तृत वर्णन किया गया है। द्वितीय समरखेण स्थल भूगर्भीय एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण से स्थायित्व के विचार से अनुचित एवं अनुपयुक्त पाये जाने पर निरस्त किया गया है

5— स्थायित्व का विचारः—

इस समरेखण की स्थल संरचना व बनावट भूगर्भीय, भूजलीय, भूकम्पीय एवं पर्यावरणीय आदि परिस्थितियों को देखते हुए इस भाग में मोटर मार्ग के निर्माण हेतु निम्न बिन्दुओं पर विचार करना आवश्यक है।

1— यह सड़क समरेखण पर्वतीय क्षेत्र में है।

2— यह सड़क समरेखण भूकम्पीय क्षेत्र में है।

3— पर्यावरण का ध्यान रखा जाय।

4— इस सड़क समरेखण में पहाड़ी ढलान सामान्य से मध्यम स्थिति में हैं।

5— यह समरेखण नाप एवं बेनाप से गुजरता है।

6— यह सड़क समरेखण में कई ग्राम विद्यमान हैं।

7— इस समरेखण में कोई भूस्खलन क्षेत्र नहीं है।

8— इस समरेखण में कई सूखे नाले हैं।

9— इस समरेखण में कोई भी परिनियल नालें विद्यमान हैं।

6— सुझावः—

इस सड़क समरेखण की स्थल की संरचना व बनावट, स्थल वर्णन, स्थायित्व का विचार, भूगर्भीय, भूजलीय, भूकम्पीय एवं पर्यावरणीय आदि परिस्थितियों को देखते हुए इस भाग में मोटर मार्ग निर्माण हेतु निम्नलिखित सुझाव दियें जाते हैं।

1— पहाड़ी की ओर नाली का निर्माण किया जाय।

2— मोटर मार्ग के निर्माण करते समय सूखे नालों पर स्कपर/डबल स्कपर/कल्वर्ट/काजवे का निर्माण किया जाय।

3— मिट्टी/डेब्रिस/ग्राम वाले भाग में पहाड़ी कटान के बाद आवश्यकतानुसार ब्रैस्ट वाल का निर्माण किया जाय।

4— ग्रामों वाले भाग में विस्फोटक सामग्री का उपयोग न किया जाय।

5– मिट्टी वाले / डेब्रिस वाले मार्ग के वाहय भाग को ऊँचा रखा जाय ताकि वर्षा के दिनों में पानी मार्ग को पार कर न बहे जिससे मोटर मार्ग यथावत बना रहे।

6– पर्यावरण को स्वच्छ एवं शुद्ध रखने हेतु मिट्टी वाले भाग में वृक्षारोपण किया जाय।

7– पर्यावरण को ध्यान में रखकर ही मार्ग का निर्माण किया जाय।

8– पर्वतीय क्षेत्रों में बनने वाले मोटर मार्गों के निर्माण हेतु किये जाने वालें उपायों को ध्यान में रखकर मोटर मार्ग का निर्माण किया जाय।

9– भूकम्पीय मानक के अनुरूप उपाय किए जाय।

10– अन्य आवश्यक उपाय जो मार्ग निर्माण में आवश्यक हों किए जाय।

7– निष्कर्षः–

उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं को ध्यान में रख कर इस क्षेत्र में मोटर मार्ग निर्माण करना उचित एवं उपयुक्त प्रतीत होता है।

19.7.2011

(मणि कर्णिका मिश्र)
भूवैज्ञानिक
कार्यालय मुख्य अभियन्ता कु0क्षे0
लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
रानीखेत